522

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष: एम0गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 35-तीन/03 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-11-12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 617/ 2001-02/अपील.

1- कंचनबाई महाजन विधवा केसरीमल जी (मृत) वारिसान -
(अ) प्रतापसिंह
(ब) भारतसिंह } पुत्रगण स्व0 श्री केशरीमल जी चौधरी
(स) हेमंतसिंह
समस्त निवासी अहिंसा पथ नीमच सिटी म0प्र0

2- शशिकांत जैन आत्मज सौभागमल जी जैन
निवासी अहिंसा पथ नीमच सिटी म0प्र0
क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा मुख्त्यार आम-
संजय जैन आत्मज गंभीरसिंह जी जैन
निवासी चौधरी मोहल्ला नीमच म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा -
शिक्षा विभाग नीमच म0प्र0 ---- अनावेदक

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी ।
अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी ।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 05/12/2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 617/2001-02/अपील में पारित आदेश दिनांक 29.11.02 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व

संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य अपर आयुक्त के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुन: दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तथा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अभिलेख से परे तथा तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में सर्वे नं. 1118 रकवा 0.157 तथा सर्वे नं. 1119 रकवा 0.157 शासकीय भूमि नहीं है, बल्कि भूमिस्वामित्व की भूमि है। पूर्व में इस भूमि का सर्वे नंबर 1395 था तथा यह भूमि राजस्व अभिलेखों में नथमल व मूलचन्द्र के नाम दर्ज है। संवत 1993 में सर्वे नं. 1395 परिवर्तित होकर 1447 हुआ जो राजस्व अभिलेखों में मन्नालाल पुत्र नथमल के नाम दर्ज है। संवत 2016 में सर्वे नं. 1447/1 कंचनबाई के नाम से तथा सर्वे नं. 1447/2 सज्जन कुंवरबाई के नाम से बने। पुन: बन्दोबस्त में सर्वे नं. 1447/1 का नया नंबर 1118 तथा सर्वे नं. 1447/2 का नया सर्वे नंबर 1119 हुआ। यही सर्वे नं. वर्तमान में है।

यह तर्क दिया गया है कि मन्नालाल पुत्र नथमल ग्वालियर राज्य में जमींदार था, जिन्होंने विवादित भूमि को आवेदिका कंचनबाई तथा आवेदक क्र. 2 की पूर्ववर्ती भूमिस्वामी सज्जन कुंवरबाई को पट्टे पर दी थी। संवत 2007 में कंचनबाई एवं सज्जन कुंवरबाई का नाम राजस्व अभिलेखों में मौरूसी के रूप में दर्ज है। जमींदारी समाप्ति विधान 2.10.51 से लागू होने पर कंचनबाई एवं सज्जन कुंवरबाई विधि के प्रभाव से पक्का कृषक बन गए तथा मध्यभारत लैण्ड रेवेन्यू टेनेंसी एक्ट संवत 2007 प्रभावशील हो जाने से मौरुषी काश्तकार भूमिस्वामी हो गए इसके पश्चात संहिता के लागू होने पर पक्के कृषकों को भूमि स्वामी अधिकार मिल गए हैं। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक क्र. 2 ने प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 1119 को सज्जन कुंवरबाई की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसानों से दिनांक 23.01.82 को पंजीकृत विक्रय-पत्र से क्रय की है और आवेदक क्र. 2 वर्ष 1982 से भूमि के आधिपत्यधारी होकर उनका नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के नाम अंकित है।

यह तर्क दिया गया है कि शिक्षा अधिकारी द्वारा एस.डी.ओ. एवं कलेक्टर को प्रस्तुत शिकायत पर से एस.डी.ओ. के निर्देश पर तहसीलदार ने संहिता की धारा 115 के तहत कार्यवाही करते हुए जो आदेश पारित किया है वह अधिकारिता

रहित है, क्योंकि संहिता की धारा 115 की कार्यवाही किसी वरिष्ठ न्यायालय के निर्देश पर नहीं की जा सकती। संहिता की धारा 115 के तहत तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 114 के तहत तैयार किए गए मूल अभिलेख को युक्तियुक्त अवधि में ही त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर संशोधित किया जा सकता है। संवत 1993 और उसके पश्चात के बंदोबस्त के दौरान किए गए इन्द्राज संहिता की धारा 114 के तहत त्रुटि की श्रेणी में नहीं आते हैं।

यह तर्क दिया गया है कि तहसीलदार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि एस.डी.ओ. द्वारा कंचनबाई के हिस्से की भूमि सर्वे नं. 1118 पर दिनांक 12.08.82 को भू-परिवर्तन का आदेश दिया गया है तथा कंचनबाई द्वारा एस.डी.ओ. द्वारा निर्धारित लगान शासन को अदा किया गया है। एस.डी.ओ. के इस आदेश को तहसीलदार द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता इस मूलभूत स्थिति को अनदेखा कर आवेदकगण के नाम प्रविष्ठियों को शून्य घोषित करने का जो आदेश तहसीलदार ने पारित किया है और जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालयों ने की है यह आदेश त्रुटिपूर्ण है।

यह तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि पर शिक्षा विभाग का अभिलेख में कभी भी नाम अंकित नहीं रहा है। संवत 1993 में शिक्षा विभाग क नाम जितनी भूमि थी उतनी भूमि आज भी है। विवादित भूमि शासकीय भूमि कभी नहीं रही। आवेदकों एवं उनके पूर्वाधिकारियों के नाम का इन्द्राज संवत 1993 (सन् 1936) से निरंतर अंकित किया गया है। इस बीच सन् 1962 एवं 1972 में बंदोवस्त हुए जिनमें आवेदकगण के स्वत्व मान्य किए गए हैं। इस कारण प्रकरण में शासन के विरुद्ध स्टापल एवं रेसज्यूडीकेटा का सिद्धांत भी लागू होता है। यह भी कहा गया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कई वर्षों तक राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज हो और किसी वर्ष में कोई परिवर्तन हो तो उसे जब तक सशक्त और अकाट्य विपरीत प्रमाण न हो, अनाधिकृत अथवा कपटपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस संबंध में उनके द्वारा 1997(1) जेएलजे 340 रफीक खान विरुद्ध लक्ष्मीनारायण में प्रतिपादित सिद्धांत का हवाला दिया गया है। यह भी कहा गया है कि भूमि शासन की है यह सिद्ध करने का भार शासन पर है जो इस प्रकरण में नहीं निभाया गया है।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने खसरा संवत 1993 के कॉलम नं. 5 में काटपीट को मुख्य आधार बनाकर प्रकरण का निराकरण किया है, जबकि आवेदकों द्वारा संवत 1993 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियां जिलाध्यक्ष

कार्यालय, मंदसौर से लेकर प्रस्तुत की है जिनमें कोई काटपीट नहीं है। इन प्रतिलिपियों पर कोई विचार अधीनस्थ न्यायालयों ने नहीं किया है।

यह तर्क दिया गया है कि राजस्व अभिलेखों में कोई कपटपूर्ण अंकन नहीं किया गया है। केशरीमल जो नीमच कस्बे में पटवारी था और उसके द्वारा कोई कांट-छांट राजस्व अभिलेख में की गई, इस संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है। यह त्रुटि राजस्व अधिकारियों की परिकल्पित त्रुटि है। तहसीलदार द्वारा मध्यभारत एवं मध्यप्रदेश के समय के काफी पुराने आवेदकों के इन्द्राजों को संदेहपूर्ण माना गया है जबकि साक्ष्य विधान की धारा 83 के अनुसार शासन द्वारा तैयार किए गए नक्शे व खेवट सही एवं विधि अनुरूप ठहराया गया है जिन्हें मात्र अनुमान और कल्पना के आधार पर अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता और ना ही किसी काटपीट का दोषारोपण आवेदकों पर डाला जा सकता है।

यह तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण की विषय-वस्तु त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की न होकर शासन एवं भूमिस्वामी के मध्य भूमि के स्वत्व का विवाद है जिनका निराकरण संहिता की धारा 115 के तहत नहीं किया जा सकता। स्वत्व का निराकरण संहिता की धारा 57 के प्रावधानों के तहत ही किया जाना संभव है। संहिता की धारा 57(1) क परंतुक के अनुसार संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व यदि कोई भूमि किसी व्यक्ति में निहित हो गई है तो वह अप्रभावित रहेगा। इस संबंध में उनके द्वारा 2001(2) एमपीएलजे 644 स्टेट ऑफ एम.पी. विरुद्ध बलवीर सिंह एवं ए.आई.आर. 1968 एम.पी. 57 अय्यूब खां विरुद्ध पुण्डीलाल के न्यायदृष्टांत का हवाला देते हुए कहा गया कि तहसीलदार को स्वत्व के निराकरण का अधिकार नहीं है।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमियों के राजस्व अभिलेख (खसरा-खतौनी आदि) की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई थीं जिन पर कोई विचार नहीं किया गया। राजस्व अभिलेखों को शंकास्पद मानने के लिए प्रकरण में ना कोई साक्ष्य है और ना ही कोई ऐसा आधार है। लोक अभिलेख का शंकास्पद मानने के लिए प्रकरण में ना कोई साक्ष्य है और ना ही कोई ऐसा आधार है। लोक अभिलेख को शंकास्पद मानने के लिए आवश्यक आधार होना चाहिए जो इस प्रकरण में नहीं है। यह भी कहा गया है कि एस.डी.ओ. ने अपने व्यक्तिगत विचारों को लेकर प्रकरण का निराकरण किया है जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा

यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि शिक्षा विभाग की है जिस पर कांट-छांट कर तत्कालीन पटवारी केशरीमल द्वारा आवेदकों के नाम का इन्द्राज किया गया है। शिक्षा अधिकारी की ओर से प्रस्तुत शिकायत के आधार पर तहसीलदार ने संहिता की धारा 115 के तहत कार्यवाही कर आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।

यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदको के पूर्वाधिकारी मन्नालाल के स्थान पर कंचनबाई एवं सज्जन कुंवर का नाम किस आधार पर अंकित किया गया इसकी कोई प्रविष्टि खसरे में नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदकों के नाम की प्रविष्टि फर्जी होना तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने माना है ऐसी स्थिति में सर्वे नं. 1118 के डायवर्सन का आदेश महत्वहीन है।

यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को स्थिर रखने एवं निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का एवं आवेदकों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन किया। इस प्रकरण में तहसीलदार ने शिकायत के आधार पर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण की भूमिस्वामी के नाते चली आ रही प्रविष्टियों को निरस्त करते हुए शिक्षा विभाग का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तहसीलदार के आदेश की पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है। अभिलेख में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उनको देखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं हैं। अपर आयुक्त के अभिलेख में खसरा एवं खतौनी की जो प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न हैं उनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि जिनका वर्तमान सर्वे नं. 1118 एवं 1119 है का पुराना सर्वे नं. 1447 था जिस पर संवत 1993 के खसरे के खाना नंबर 6 में मन्नालाल पिता नथमल का नाम दर्ज है तथा रजिस्टर खाते जात संवत 2007 में खसरे में खाना नंबर 3 में जो काश्ताकर, नोइयत व मुद्दत का है उसमें खाता नंबर 355 में अन्य भूमियों के साथ प्रश्नाधीन सर्वे नं. 1447 पर कंचनबाई पत्नी केशरीमल और सज्जन कुंवरबाई पति माधवसिंह का नाम दाखिलकार महज 4 साल दर्ज है। संवत 2008 सन् 1951-52 में कंचनबाई व सज्जन कुंवरबाई की नोइयत दाखिलकार दर्ज की गई थी जिसे काटकर लालस्याही से पक्का कृषक लिखा गया है। खसरा सन् 53-54 के बी-1 किश्तबंदी खतौनी के खाता नंबर 77 में भी सर्वे नं. 1447 का इन्द्राज है। इनके अतिरिक्त अभिलेख में

सन् 1958-59 की किश्तबंदी खतौनी आसामीबार में खाता नं. 86 में अन्य भूमियों के साथ प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 1447 कंचनबाई व सज्जन कुंवरबाई का नाज दर्ज है। इस प्रकार प्रकरण में जो राजस्व अभिलेख (खसरे खतौनी आदि) प्रस्तुत हुई हैं उनसे यह प्रमाणित है कि स्पष्ट है कि विवादित भूमि मन्नालाल जमींदार के भूमिस्वामित्व की भूमि थी जिसे उनके द्वारा कंचनबाई व सज्जन कुंवरबाई को पट्टे पर दिया गया है। संवत 2007 के खसरों में कंचनबाई व सज्जन कुंवरबाई का नाम दाखिलकार की हैसियत से (जिसे कानून माल ग्वालियर की धारा 245 के तहत मौरुषी काश्तकार माना गया है) अंकित है। अत: तहसीलदार द्वारा कंचनबाई व सज्जन कुंवरबाई की हैसियत मामूली कृषक की मानना न्यायसंगत नहीं है। कानून माल के समाप्त होने पर मध्यभारत भू-आगम एवं कृषकाधिकार विधान एवं जमींदारी समाप्ति विधान के लागू होने पर कंचनबाई व सज्जन कुंवरबाई की स्थिति स्वत: पक्के कृषक की हो गई और पक्के कृषक की प्रविष्टि के लिए किसी प्रकार के आदेश की आवश्यकता नहीं है। अत: तत्संबंध में जो प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में है वह विधिसम्मत मानी जाएगी। बाद में दिनांक 02.10.59 से संहिता के प्रभावशील होने पर जो पक्के कृषक थे उन्हें संहिता की धारा 158(1) (बी) के तहत स्वत: भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गए थे। उक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है।

6/ अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि संहिता के लागू होने के पश्चात सज्जन कुंवरबाई की मृत्यु उपरांत उसके वारिसों द्वारा सर्वे नं. 1119 रकवा 0.157 का विक्रय आवेदक क्र. 2 को किया गया जिस पर से उसका नामांतरण राजस्व अभिलेखों में किया गया। इसी प्रकार प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 1118 का कृषि भिन्न आशय का व्यपवर्तन अनुविभागीय अधिकारी नीमच ने आदेश दिनांक 12.08.82 को किया गया है। इन तथ्यों को भी अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है।

7/ अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण में कार्यवाही शिकायत के आधार पर की गई है जबकि संहिता की धारा 115 के तहत शिकायत के आधार पर तहसीलदार को किसी प्रकार की जांच का अधिकार नहीं है, क्योंकि संहिता की धारा 115 के अंतर्गत केवल 114 के तहत तैयार किए गए भू-अभिलेखों को ही त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर संशोधित किया जा सकता है अन्य भू-अभिलेखों को नहीं और चूंकि बंदोवस्त के समय जो अभिलेख तैयार किए जाने हैं वे संहिता की धारा 107 एवं 108 के तहत तैयार किए जाते हैं ना कि संहिता की धारा 114 के तहत। इसलिए तहसीलदार को इन अभिलेखों को संशोधित करने का कोई

क्षेत्राधिकार नहीं है और ना ही तहसीलदार को संहिता की धारा 115 के तहत भू-अधिकार पुस्तिका तथा रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों को निरस्त करने तथा विधि द्वारा उद्भूत स्वत्वों व अधिकारों को समाप्त करने की शक्तियां प्राप्त हैं। संहिता की धारा 115 के तहत खसरे में की गई भूमिस्वामियों के नाम की प्रविष्टियों को दुरस्त नहीं किया जा सकता है और ना ही भूमिस्वामी के स्वत्व में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात नवीन प्रविष्टि या अधिकार का सृजन संहिता की धारा 115 के तहत नहीं किया जा सकता है। अत: संहिता की धारा 115 के तहत जो कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की गई है उसे किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत और न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1993 आर.एन. 100 अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि - हक के संबंध में नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती।

8/ अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि यह प्रकरण संयुक्त/ उप संचालक द्वारा दिनांक 16.09.91 को प्रस्तुत आवेदन पर से प्रारंभ हुआ है, जिसमें आवेदकगण की सन् 1950-51 से चली आ रही प्रविष्टियों को निरस्त करने और पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 23.11.82 को तथा उसके आधार पर किए गए नामांतरण को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। किसी भी पक्षकार को आवेदन देकर प्रविष्टियों को निरस्त कराने और दुरस्त कराने का आवेदन देने का अधिकार संहिता की धारा 116 में ही उपलब्ध है जिसके लिए एक वर्ष की समय-सीमा निर्धारित है। जबकि इस प्रकरण में 40 वर्ष पश्चात शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो अवधि वाह्य था और उस पर विचार नहीं किया जा सकता था। यदि यह भी माना जाए कि राज्य शासन स्वप्रेरणा की कार्यवाही हेतु अवधि विधान से विमुक्त है तब भी आवेदन युक्तियुक्त अवधि में दिया जाना चाहिए और यह अवधि कुछ माह ही हो सकती है ना कि 40 वर्ष। न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत I.L.R. (2011) M.P.I. रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरुद्ध म0प्र0 शासन) में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो ।

9/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल है कि संहिता की धारा 117 के तहत जो प्रविष्टियां हैं उनको जब कि खंडित न किया जाए सही माना जाएगा और इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1994 आर.एन. 169 तथा 1993 आर.एन. 165 (उच्च न्यायालय) अवलोकनीय है। इस प्रकरण में आवेदकों के नाम की प्रविष्टियों को अभिखंडित करने के लिए कोई आधार नहीं है और ना ही कोई साक्ष्य है। रिकॉर्ड को देखने से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक की ओर से विवादित भूमि के शिक्षा विभाग की होने के संबंध में कोई ठोस एवं पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जो कि राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं से स्पष्ट है कि उनमें किसी प्रकार कोई काटपीट नहीं है तथा संवत 1993 के खसरे के मालिक के खाना नं. 6 में मन्नालाल का नाम दर्ज है। तहसील न्यायालय द्वारा जारी खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि भी आवेदकों की ओर से पेश की गई है इसमें भी मालिक के खाना नं. 6 में मन्नालाल का ही नाम दर्ज है इस खसरे के कॉलम नं. 5 में मिलकियत सरकार दर्ज है जो लालस्याही से कटा है और उस पर काटने वाले के हस्ताक्षर होने का उल्लेख है। अत: इन खसरों को देखते हुए यह कतई नहीं माना जा सकता कि खसरों में कांट-छांट कर विवादित भूमि पर आवेदकों के नाम की प्रविष्टि की गई है।

10/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि संवत 1993 के पूर्व सर्वे नं. 1447 का साविक नं. 1395 था ना कि 1394, सर्वे नं. 1394 से संबंधित खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियां भी अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न हैं जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वे नं. 1394 का नया नंबर संवत 1993 में 1446 हुआ तथा वर्तमान में इसका सर्वे नं. 1117 है जिस पर पी.डब्ल्यू.डी. का नाम अंकित है।

11/ इसी प्रकार अभिलेख में संलग्न खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संवत 1993 एवं 2007 में जो भूमियां शासन के नाम पर खसरों में अंकित हैं उनमें शिक्षा विभाग के नाम भी भूमियों में विवादित सर्वे नंबर की भूमि शामिल नहीं है। शिक्षा विभाग के नाम की भूमियों के सर्वे नं. 1364, 1368 एवं 1369/1 थे, जो परिवर्तित होकर सर्वे नंबर 1364 का 1415 एवं 1368 तथा 1369/1 का सर्वे नं. 1419 हुआ पुन: बन्दोवस्त में सर्वे नं. 1415 का सर्वे नं. 1099 तथा सर्वे नं. 1418 एवं 1499 का सर्वे नं. 1100 बना तथा यही सर्वे नं. वर्तमान में है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित भूमि किसी भी समय शासकीय भूमि नहीं रही है । अत: अनावेदक को विवादित भूमि पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं था।

आवेदकों की ओर से जो राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की गई हैं उनका कोई खंडन अभिलेख पर नहीं है ओर वे क्योंकर मानने योग्य नहीं है, इस संबंध में कोई निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालयों ने नहीं दिए हैं। अत: अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तत्कालीन पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में कांट-छांट कर विवादित भूमि पर आवेदकों का नाम दर्ज करने संबंधी जो निष्कर्ष हैं वह त्रुटिपूर्ण हैं। अत: प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे अभिलेख पर आधारित न होने के कारण स्थिर नहीं रखे जा सकते।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.02, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.02 तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.92 निरस्त किए जाते हैं। तथा तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक कंचनबाई के मृत हो जाने के कारण उनके स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 1118 रकबा 0.157 (परिवर्तित) पर उनके वैध वारिसान आवेदकगण प्रतापसिंह, भारतसिंह व हेमंतसिंह पुत्रगण स्व0 श्री केशरीमल जी चौधरी का नाम तथा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 1119 रकबा 0.157 हैक्टर पर आवेदक क्रमांक 2 शशीकांत पिता सोभागमल जैन का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये और तदनुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर